16.8.25 पत्रावली प्रस्तुत हुई। पक्षकार पत्रावली का
अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया
गया। पत्रावली में उपलब्ध सामग्री दिनांक 20.12.
24 के बाद तक सहायक कलक्टर व तहसीलदार
की नियुक्ति अतिरिक्त की गई है। सहायक तहसीलदार
के विभागीय पत्रों से यह स्पष्ट विधिवत तहसीलदार
होने के लिए अनुभव प्राप्त करने के उद्देश्य से
है अर्थात् अधिकृत सहायक व तहसीलदार का
नियुक्ति उल्लेख आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार
करने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र सहायक विभाग तहसीलदार
अतिरिक्त किया जाता है। पत्रावली पक्षकारान अग्रिम
कार्यवाही हेतु [illegible] की जावे। अग्रिम कार्यवाही
करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.08.16 14:26:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Scanned with OKEN Scanner